सं0-958/62-2-2017-2/3(08)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 मई,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-419/ल0सिं0/बजट-3/2017-18,दिनांक 06.4.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 20.03.2017 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) (जिला योजना) के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-3883.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि रू0-1617.65 (रूपया सोलह करोड सत्तरह लाख पैसठ हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग योजना में सामान्य कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोध्न की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नि:शुल्क बोरिंग योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों मे लागू की जाय, जहाँ भू-गर्भ जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हो। इस योजना में भू-गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(6) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन शासनादेश स0-3942/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20.11.2012 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभागों द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्गित रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15.10.2017 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2017 तक
4-	वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-	आवंटन का समर्पण	15.03.2018 तक

नोटः- दिनांक 15.03.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- तत्संबन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.03.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

सं0-958(1)/62-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-958/62-2-2017-2/3(08)/2017, दिनांक 03 मई,2017 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी" में लेंखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 05 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(रूपया लाख में)

क्र0सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रथम 05 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेरठ	21.00	4.49	1.87
2	बागपत	0.00	0.00	0.00
3	गाजियाबाद	3.48	0.78	0.32
4	गोतमबुद्धनगर	6.00	1.30	0.54
5	बुलन्दशहर	307.80	65.81	27.42
6	हापुड	16.00	3.37	1.40
7	मुजफफनगर	67.64	14.46	6.02
8	शामली	0.00	0.00	0.00
9	आगरा	0.00	0.00	0.00
10	सहानपुर	0.00	0.00	0.00
11	मथुरा	420.00	89.80	37.42
12	फिरोजाबाद	187.00	39.98	16.66
13	मैनपुरी	120.00	25.66	10.69
14	अलीगढ	692.00	147.95	61.65
15	हाथरस	259.50	55.48	23.12
16	एटा	600.00	128.28	53.45
17	कासगंज	389.25	83.22	34.67
18	बरेली	210.90	45.09	18.79
19	बदायूँ	277.50	59.33	24.72
20	सम्भल	367.25	78.52	32.72
21	शाहजहॉपुर	142.19	30.40	12.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	पीलीभीत	87.50	18.71	7.80
23	मुरादाबाद	34.60	7.35	3.06
24	अमरोहा	32.87	7.01	2.92
25	रामपुर	35.00	7.44	3.10
26	बिजनौर	98.00	20.95	8.73
27	लखनऊ	40.00	8.65	3.60
28	हरदोई	1577.77	337.32	140.30
29	सीतापुर	645.00	137.90	57.46
30	खीरी	914.55	195.53	81.47
31	रायबरेली	277.50	59.33	24.72
32	उन्नाव	990.00	211.51	88.13
33	कानपुर नगर	537.25	114.86	47.86
34	कानपुर देहात	614.50	131.38	54.74
35	इटावा	129.75	27.74	11.56
36	औरैया	259.50	55.48	23.12
37	फर्रूखाबाद	175.00	37.41	15.59
38	कन्नौज	155.75	33.30	13.87
39	इलाहाबाद	12.20	2.59	1.08
40	कौशाम्बी	0.00	0.00	0.00
41	फतेहपुर	0.52	0.09	0.09
42	प्रतापगढ	91.00	19.46	8.11
43	वाराणसी	2.80	0.61	0.25
44	चन्दौली	13.06	2.77	1.15
45	गाजीपुर	344.89	73.74	30.72
46	जोनपुर	454.57	97.19	40.50
47	मिर्जापुर	10.85	2.34	0.97
48	सोनभद्र	2.10	0.43	0.17
49	संतरविदासनगर	0.00	0.00	0.00
50	फैजाबाद	48.46	10.38	4.32
51	अम्बेडकरनगर	47.60	10.21	4.25
52	बाराबंकी	769.04	164.42	68.51
53	सुल्तानुपर	180.00	38.48	16.03
54	अमेठी	220.35	47.11	19.63
55	गोण्डा	303.91	64.98	27.07
56	बलरामपुर	112.50	24.05	10.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

57	बहराइच	700.00	149.66	62.36
58	श्रावस्ती	140.00	29.93	12.47
59	गोरखपुर	486.52	104.02	43.34
60	महराजगंज	73.30	15.67	6.53
61	देवरिया	150.00	32.07	13.36
62	कुशीनगर	420.00	89.80	37.42
63	बस्ती	300.00	64.14	26.72
64	संतकबीरनगर	1250.00	267.25	111.23
65	सिद्धार्थनगर	750.00	160.35	66.81
66	आजमगढ	164.00	35.06	14.61
67	मऊ	210.00	44.90	18.71
68	बलिया	210.00	44.90	18.71
69	झाँसी	1.91	0.43	0.17
70	जालौन	0.17	0.09	0.09
71	ललितपुर	0.00	0.00	0.00
72	हमीरपुर	0.00	0.00	0.00
73	महोबा	0.00	0.00	0.00
74	बांदा	0.20	0.09	0.09
75	चित्रकूट	0.00	0.00	0.00
	योग-	**18162.00**	**3883.00**	**1617.65**

(रू0-सोलह करोड सत्रह लाख पैसठ हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।